न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प कोर्ट भोपाल (म०प्र०)

निग – 434 – PBR-16

1- श्रीमति लीलाबाई पत्नी स्व० प्रेमनारायण मेहतो उम्र लगभग 80 वर्ष

2- दीपक आ० स्व० प्रेमनारायण मेहतो उम्र वयस्क

3- दिलीप आ० स्व० प्रेमनारायण मेहतो उम्र वयस्क

4- प्रदीप आ० स्व० प्रेमनारायण मेहतो उम्र वयस्क

5- श्रीमति प्रेमलता पत्नी स्व० रामसेवक मेहतो उम्र वयस्क

6- आशीष आ० स्व० रामसेवक मेहतो उम्र वयस्क

7- राजेन्द्र कुमार आ० स्व० कोदूलाल मेहतो उम्र वयस्क

सभी निवासी, ग्राम भट्टी तहसील इटारसी

जिला होशंगाबाद म०प्र० ---- पुनिरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1- जी.बी.आर. इंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा

संचालक नरेन्द्र कुमार राठी आ० श्रीवंशीलाल राठी उम्र लगभग 50 वर्ष

निवासी रामनन रोड चेन्नई -79 .

2- सांवरिया इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा

निर्देशक गुलाबचंद्र अग्रवाल आ० श्री रामनारायण अग्रवाल उम्र लगभग 46 वर्ष

निवासी सांवरिया हाउस, 9 वीं लाइन इटारसी तहसील इटारसी

जिला होशंगाबाद म०प्र० ---- उत्तरवादीगण

पुनिरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा- 50 म० प्र० भू० रा० संहिता

पुनिरीक्षणकर्ता की ओर से निम्ननिवेदन है कि:-

*. पुनिरीक्षणकर्ता यह पुनिरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय इटारसी के प्रकरण क्रमांक- 61/अ-6/2014-2015 जिसमें पक्षकार लीलाबाई वगैरह विरुद्ध सर्व साधारण में पारित आदेश दिनांक 22.12.2015 से क्षुब्ध एवं दुखित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 734–पीबीआर/2016 **जिला–होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.03.2016	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार इटारसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से अंश भाग पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय करने के आधार पर पक्षकार बनने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 एवं मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं । चूँकि प्रश्नाधीन भूमि में से कुछ अंश पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया है, इसलिये वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को पक्षकार बनाने में प्रथमदृष्टया वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	